

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्यय अनुभाग)

क्रमांक :- 84(129)वित्त-1(1)आय व्य/2018

जयपुर दिनांक 30/03/2020

स्वीकृति संख्या 279/2019-20

कोषाधिकारी
उदयपुर (राज.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रवृत्ति निर्देशक, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. उदयपुर के निम्नी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी निम्नलिखित स्वीकृतियों में अंकित शर्तों के अनुसार, प्रवृत्ति निर्देशक, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. उदयपुर के निम्नी निक्षेप खाते में कुल राशि रुपये 722.16 लाख (अक्षरे रुपये सात करोड़ बाईस लाख सोलह हजार) मात्र निम्नानुसार अंकित बाबत मदों के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दी जाये।

मांग संख्या - 30

(राशि रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	बजट मद	स्वीकृति संख्या	राशि (राज्य निधि)	राशि (केंद्रीय सरकार)
1	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोगिता (19)- केन्द्रीय सहायता योजना अन्तर्गत संचालित योजनाएं [07]- लघु वन उपज संग्रहण हेतु सहायताएं अनुदान 12- सहायताएं अनुदान (गैर स्वतंत्र) (22)- लघु वन उपज संग्रहण के लिए समर्थन मूल्य योजना [01]- राज. जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. को सहायता 93 - ध्वजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायताएं अनुदान	अनक-एक 21() RTADCF / MKTG / 20 19-20 दिनांक 27.03.2020 122 / 2019-20 अनक-एक 21() RTADCF / MKTG / 20 19-20 दिनांक 27.03.2020 123 / 2019-20	— 159.42	— —

(अक्षरे रुपये सात करोड़ बाईस लाख सोलह हजार)

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिए राजस्थान लोक स्थापन परवर्धिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों / निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रश्न), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
5. प्रवृत्ति निर्देशक, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. उदयपुर।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. संक्षेप पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)